www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 530

रोज़गार समाचार

सभी को अवसर

साप्ताहिक

खंड 44 अंक 45 पृष्ठ 32 | नई दिल्ली 8 - 14 फरवरी 2020 | ₹ 12.00

केंद्रीय बजट 2020-21

अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाने के लिए व्यापक सुधार

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 21वीं सदी के तीसरे दशक के इस बजट में दीर्घकालिक प्रभाव वाले कई सुधारों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के उपायों के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान बनाना है.

केन्द्रीय बजट 2020-21 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

बजट के तीन प्रमुख घटक -

- **महत्वाकांक्षी भारत** - भारत जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच और रोज़गार के बेहतर अवसर हों, ताकि उनके जीवन का स्तेर अच्छा हो सके.
- **सभी के लिए आर्थिक विकास** - 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास'.
- **जिम्मेदार समाज** - मानवीय और सहृदय, अन्त्योदय, आस्था का आधार.
- तीन बड़े विषयों को एक साथ लाया जाना-
- भ्रष्टाचार मुक्त, नीति निर्देशित और सक्षम शासन.
- साफ-सुथरा और मजबूत वित्तीय क्षेत्र.

केन्द्रीय बजट में जीवन सुगमता को तीन प्रमुख विषयों के रूप में रेखांकित किया गया है

- कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास
- आरोग्य, जल और स्वच्छता
- शिक्षा और कौशल

कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 16 सूत्री कार्य योजना

- निम्नलिखित 16 सूत्री कार्य योजना के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आबंटन
- कृषि, सिंचाई और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपये.
- ग्रामीण विकास और पंचायतीराज के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपये.

कृषि ऋण

- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य तय.
- पीएम-किसान लाभार्थियों को केसीसी योजना के तहत लाने का प्रस्ताव.
- नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना को और विस्तार देना.
- जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों के लिए वृहद उपायों का प्रस्ताव

नीली अर्थव्यवस्था

- 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाना.
- 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य.
- 3,477 मित्रों और 500 मत्स्य पालन कृषक संगठनों द्वारा युवाओं को मत्स्य पालन क्षेत्र से जोड़ना.
- शैवालों और समुद्री खरपतवारों की खेती तथा केज कल्चकर को प्रोत्साहित करना.
- समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास प्रबंधन और संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना.

किसान रेल - सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा किसान रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव

- दूध, मांस और मछली आदि जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए बाधा रहित राष्ट्रीय प्रशीतन आपूर्ति श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव.
- एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में प्रशीतन डिब्बे लगाने का प्रस्ताव.

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ संसद में आम बजट 2020-21 प्रस्तुत करने से पहले

नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना की शुरुआत करना

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई मार्गों पर इस सेवा का संचालन.
- पूर्वोत्तर ओर जनजातीय क्षेत्रों के जिलों को कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलना.

बागवानी क्षेत्र में विपणन और निर्यात को बेहतर बनाने के लिए 'एक उत्पाद, एक जिला' की नीति

- सभी तरह के पारम्परिक जैविक और नवोन्मेषी उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल.
- जैविक, प्राकृतिक और एकीकृत खेती को बढ़ावा.
- जैविक खेती पोर्टल- जैविक उत्पादों के ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार को मजबूत बनाना.
- जीरो बजट प्राकृतिक खेती- (जैसा कि जुलाई 2019 के बजट में दर्शाया गया) को शामिल करना.
- सिंचाई के लिए वर्षा, जल आधारित क्षेत्रों में एकीकृत खेती प्रणाली का विस्तार.
- गैर फसल मौसम में बहुस्तरीय फसल, मधुमक्खी पालन, सौर-पंपों तथा सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना.

पीएम-कुसुम का विस्तार

- योजना के तहत 20 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद.
- अतिरिक्त 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े पंप सैटों को सौर ऊर्जा चलित बनाने में मदद करना.
- किसानों को अपनी प्रति या खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में मदद की योजना.

ग्राम भंडारण योजना

- किसानों के लिए स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित भंडारण व्यवस्था, ताकि उत्पादों पर लॉजिस्टिक लागत कम हो सके.
- महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को फिर से धन्य लक्ष्मी का स्थान पाने में मदद.
- नाबार्ड द्वारा कृषि भंडारों, कोल्ड स्टोरों तथा प्रशीतन वैन सुविधाओं का नक्शो बनाना और उनका जीओ टैगिंग करना.
- वेयर हाऊस विकास एवं नियामक प्राधिकरण द्वारा भंडार गृहों की स्थापना के लिए नियम-
- खंडों और तालुक स्तर पर सक्षम भंडार गृह बनाने के लिए पूंजी की कमी की भरपाई करना.
- भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम भी अपनी जमीन पर ऐसे भंडार गृह बनाएंगे.
- नेगोशिएबल वेयरहाऊसिंग रिसीट पर किया जाने वाला वित्त पोषण ई-नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा.
- केन्द्र सरकार द्वारा जारी मॉडल कानूनों पर अमल करने वाली राज्य सरकारों को प्रोत्साहन दिए जाएंगे.

पशुधन

- दूध प्रसंस्करण क्षमता को वर्ष 2025 तक 53.5 मिलियन एमटी से दोगुना कर 108 मिलियन एमटी के स्तर पर पहुंचाया जाएगा.
- कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज को मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जाएगा.
- चारागाह को विकसित करने के लिए मनेरगा का संयोजन किया जाएगा.
- मवेशियों के खुर एवं मुंह में होने वाली बीमारी (एफएमडी) तथा ब्रूसेलोसिस और भेड़ व बकरियों में पेस्टे डेस पेटिस रुमिनेंट को वर्ष (पीपीआर) 2025 तक समाप्त किया जाएगा.
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना** - गरीबी उन्मूलन के लिए 58 लाख एसएचजी के साथ 0.5 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया.

वेलनेस, जल एवं स्वच्छता

- समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जेएवाइ) के लिए 6400 करोड़ रुपये (69,000 करोड़ रुपये में से) का आवंटन.
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम जेएवाइ) के अंतर्गत 20,000 से भी अधिक अस्पतालों को पैनल में पहले ही शामिल किया जा चुका है.
- पीपीपी व्यवस्था के तहत अस्पतालों के निर्माण के लिए कम पड़ रही राशि के इंतजाम बनाने वाली विंडो अथवा प्रकोष्ठ (वायबिलिटी गैप फंडिंग या वीजीएफ) बनाने का प्रस्ताव किया गया है.
- उन आकांक्षी जिलों को पहले चरण में कवर किया जाएगा, जहां आयुष्मान से जुड़े पैनल में कोई भी अस्पताल नहीं है.
- **जन औषधि केन्द्र योजना** के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा की पेशकश की जाएगी.
- 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
- वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन.
- ओडीएफ से जुड़ी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए 'ओडीएफ-प्लस' के लिए प्रतिबद्धता.
- द्रव एवं धूसर जल के प्रबंधन पर विशेष बल
- ठोस अपशिष्ट के संग्रह, स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग-अलग करना एवं प्रोसेसिंग पर भी फोकस

आर्थिक विकास

उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश

- उद्योग और वाणिज्य के विकास एवं संवर्धन हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 27,300 करोड़ रुपये आवंटित.
- **निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ** स्थापित करने का प्रस्ताव है
- समग्र रूप से सुविधा एवं सहयोग प्रदान करने
- एक पोर्टल के जरिए काम करना
- पांच नवीन 'स्मार्ट सिटी' को विकसित करने का प्रस्ताव है.
- मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू करने का प्रस्ताव है.
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया जाएगा.
- वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2023-24 तक की चार वर्षीय कार्यान्वयन अवधि के साथ
- 1480 करोड़ रुपये का अनुमानित परिव्यय
- भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया जाएगा.
- ज्यादा निर्यात ऋणों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए नई योजना 'निर्विक' शुरू की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी
- ज्यादा बीमा कवरेज
- छोटे निर्यातकों के लिए प्रीमियम में कमी
- दावों के निपटान के लिए सरल प्रक्रिया.
- गवर्नमेंट ई के कारोबार को बढ़ाकर (जेम) मार्केटप्लेस-3 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

केंद्रीय बजट ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

- 'निर्यात उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में संशोधन के लिए योजना' शुरू की जाएगी.
- केन्द्र, राज्य और स्थानीय स्तरों पर लगाए जाने वाले करों का रिफंड निर्यातकों को डिजिटल रूप में दिया जाएगा, जिन पर छूट नहीं है या जिन्हें रिफंड नहीं दिया जाता है.
- प्रधानमंत्री के जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट विनिर्माण विज़न के अनुरूप सभी मंत्रालय गुणवत्ता मानक जारी करेंगे.

अवसंरचना

- अगले 5 वर्षों के दौरान अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा.
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन
- 31 दिसंबर, 2019 को 103 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं लांच की गई.
- विकास के चरण और आकार के आधार पर 6500 से अधिक परियोजनाओं का वर्गीकरण किया जाएगा.
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को जल्द ही जारी किया जाएगा
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रमुख नियामकों की भूमिकाओं को सुस्पष्ट किया जाएगा.
- एकल खिड़की की लॉजिस्टिक बाजार की स्थापना की जाएगी.

राजमार्ग

- राजमार्गों के तेजी से विकास पर ध्यान दिया जाएगा, इसमें शामिल हैं
- पहुंच नियंत्रण राजमार्ग- 2500 किलोमीटर
- आर्थिक गलियारा- 9000 किलोमीटर
- तटीय और भूमि पत्तन सड़कें- 2000 किलोमीटर
- रणनीतिक राजमार्ग- 2000 किलोमीटर
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे और दो अन्य पैकेज 2023 तक पूरे हो जाएंगे.
- चेन्नै-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे की शुरुआत होगी.
- 6000 किलोमीटर से अधिक की लम्बाई वाले 12 राजमार्ग समूहों के मुद्रीकरण का प्रस्ताव.

भारतीय रेल

पांच उपाय

- रेल पटरियां के किनारे सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता स्थापित की जाएगी.
- 4 स्टेशनों की पुनर्विकास परियोजनाएं और पीपीपी के माध्यम से 150 यात्री ट्रेनों का संचालन.
- आईकॉनिक पर्यटन गंतव्य को जोड़ने के लिए तेजस जैसी ट्रेनें.
- मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन पर सक्रियता से काम.
- 148 किलोमीटर लम्बी बेंगलुरु उप-नगरीय परिवहन परियोजना के लिए 18,600 करोड़ रुपये, मेट्रो प्रारूप के अनुसार किराया तय किया जाएगा. केन्द्र सरकार 20 प्रतिशत की लागत वहन करेगी और परियोजना लागत का 60 प्रतिशत बाहरी सहायता से उपलब्ध कराने की सुविधा देगी.

भारतीय रेल की उपलब्धियां

- 550 स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा.
- कोई मानवरहित क्रॉसिंग नहीं.
- 27000 किलोमीटर की रेल लाइन का विद्युतीकरण.

पत्तन और जलमार्ग

- कम से कम एक बड़े पत्तन के निगमीकरण और स्टॉक एक्सेंज में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा.
- अधिक कार्यदक्ष पत्तनों के लिए वैश्विक मानदंडों के अनुरूप सरकार की नीतिगत रूपरेखा.
- प्रधानमंत्री के अर्थ गंगा संकल्पना के अनुरूप नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाएगा.

हवाई अड्डे

- उड़ान योजना के तहत 100 और हवाई अड्डों को 2024 तक पुनर्विकसित किया जाएगा.
- इसी अवधि के दौरान हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से 1200 हो जाने की उम्मीद.

विद्युत

- स्मार्ट मीटर को बढ़ावा.
- बिजली वितरण कम्पनियों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय.

ऊर्जा

- 2020-21 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
- राष्ट्रीय गैस-ग्रिड को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर के विस्तार का प्रस्ताव.
- पारदर्शी मूल्य और लेनदेन में आसानी की सुविधा के लिए और सुधार.

नई अर्थव्यवस्था

नई तकनीकों का लाभ लेना

- निजी क्षेत्र के द्वारा पूरे देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए नीति जल्द ही लाई जाएगी.
- भारत नेट के माध्यम से इस वर्ष 1 लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) से जोड़ा जाएगा.
- 2020-21 में भारत नेट कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.

स्टार्ट-अप्स के लाभ के लिए प्रस्तावित उपाय

- आईपीआर के निर्बाध अनुप्रयोग और नियंत्रण की सुविधा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा.
- नए और उभरते क्षेत्रों समेत विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान अनुवाद क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे.
- अवधारणा के साक्ष्य की डिजाइनिंग, इनके निर्माण और वैधीकरण के लिए और इन टेस्ट बेड्स को संपोषित करते हुए प्रौद्योगिकी कलस्टरों का स्तर आगे बढ़ाने के लिए छोटे पैमाने पर विनिर्माण कार्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी.
- भारत के जेनेटिक लैंडस्केप की मैपिंग के लिए एक व्यापक डाटाबेस के सृजन के लिए दो नवीन राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा.
- स्टार्टअप्स के पहले चरण के उद्भावन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सीड फंड सहित प्रारंभिक निधि पोषण प्रदान करने का भी प्रस्ताव है.
- क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय अभियान के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु 8,000 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया.

जिम्मेदार समाज

ध्यान के केन्द्र हैं

- महिला और बाल
- समाज कल्याण
- संस्कृति और पर्यटन
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया.
- महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया.
- मातृत्व में प्रवेश करने वाली बालिका की आयु से जुड़े संपूर्ण मुद्दे को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है. इस संदर्भ में एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया, जो अपनी अनुशंसाएं 6 माह की समयावधि में देगा.
- सीवर सिस्टमों अथवा सेप्टिक टैंकों की सफाई के कार्यों को मैनुअल तरीके से न करने को सुनिश्चित करने हेतु ऐसे कार्यों के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान की व्यापक पैमाने पर स्वीकृति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 85,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया.
- अनुसूचित जाति के आगामी विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपये प्रदान किए गए.
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 9,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया.

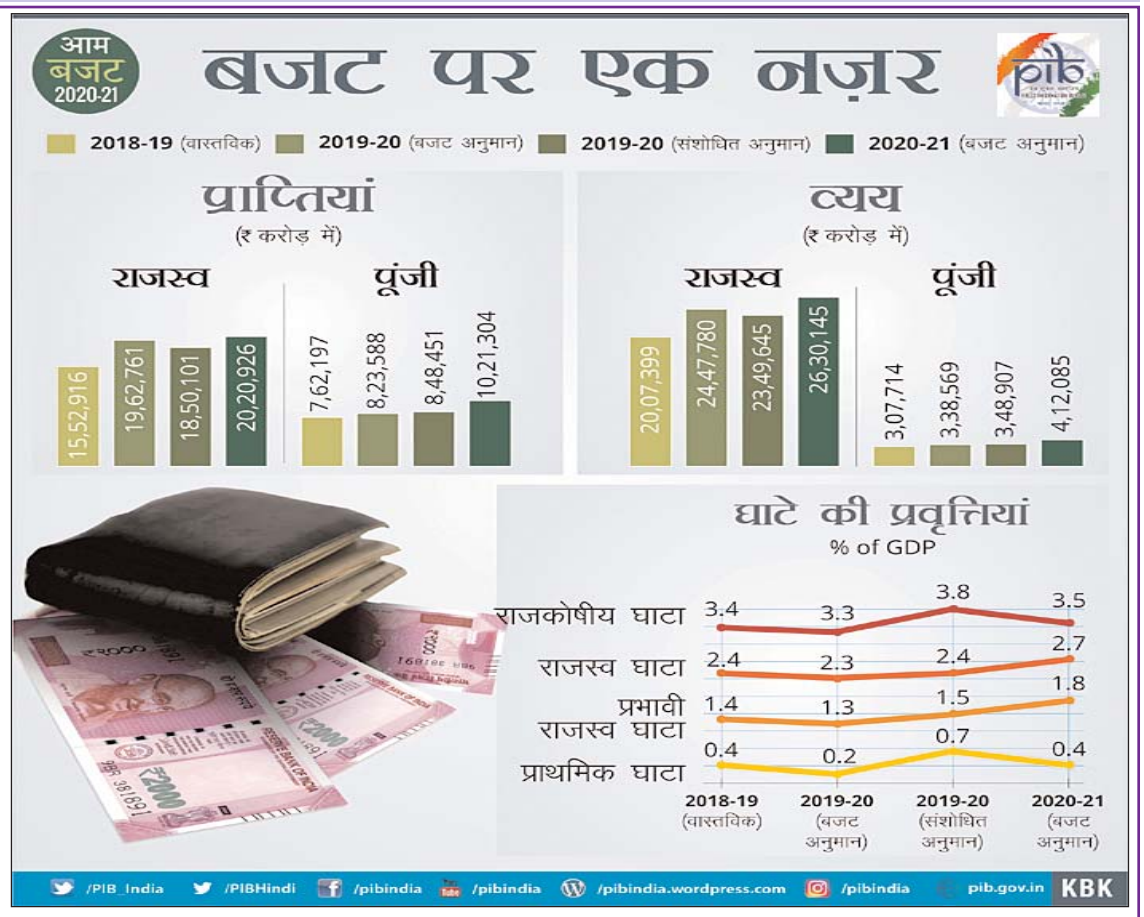

संस्कृति और पर्यटन

- पर्यटन संवर्द्धन के लिए वर्ष 2020-21 हेतु 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन.
- वर्ष 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय हेतु 3,150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया.
- संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया. इसे प्रारंभ में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त होगा.
- स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में पांच पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगाः
- राखीगढ़ी (हरियाणा)
- हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश)
- शिवसागर (असम)
- धौलाविरा (गुजरात)
- अदिचनल्लूर (तमिलनाडु)
- प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 2020 में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के पुनरूद्धार की घोषणा की गई.
- कोलकाता में ऐतिहासिक पुराने टक्सॉल भवन में मुद्रा-विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय भी स्थित होगा.
- पूरे देश में चार और संग्रहालयों का नवीनीकरण और रीक्यूरेशन किया जाएगा.
- झारखंड के रांची में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए सहयोग.
- अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग के नौवहन स्थल - लोथल में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी.
- राज्य सरकारों के द्वारा कुछ चिन्हित स्थानों के लिए एक योजना तैयार किए जाने की उम्मीद है. 2021 के दौरान वित्तीय योजना तैयार की जाएगी, जिसके तहत 2020-21 में राज्यों को विशिष्ट अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा.

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- वर्ष 2020-21 के लिए इस उद्देश्य हेतु 4,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया.
- अत्यधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप उन्हें चलाने और उनके लिए खाली भूमि का वैकल्पिक उपयोग करने का प्रावधान.
- 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करते हुए प्रोत्साहन दिया जाएगा.
- प्रधानमंत्री ने दिल्ली सचिवालय के साथ आपदा उन्मोचन अवसंरचना सम्मिलन (सीडीआरआई) का शुभारंभ किया. अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग के प्रारंभ के बाद यह दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पहल है.

अभिशासन

- निष्पक्ष, भ्रष्टाचार मुक्त, नीति संचालित, सही इरादे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण निष्ठा में विश्वास.
- कर शासन में निष्पक्षता और कुशलता लाने के लिए करदाता चार्टर का गठन किया जाएगा.
- विधानों में कार्यों के लिए सिविल प्रकृति की आपराधिक जिम्मेदारी को ठीक करने के लिए कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा.
- इस तरह के प्रावधानों वाले अन्य कानूनों की जांच के बाद उन्हें भी ठीक किया जाएगा.
- सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अराजपत्रित पदों की भर्ती में प्रमुख सुधारः
- एक स्वतंत्र, पेशेवर, विशेषज्ञ संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया. यह एजेंसी अराजपत्रित पदों की भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी.
- प्रत्येक जिले विशेष रूप से आकांक्षी जिलों में एक परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाएगा.
- सर्वश्रेष्ठ मेधावी और पेशेवर विशेषज्ञों को आकृष्ट करने के लिए इन निकायों में सीधी भर्ती सहित नियुक्ति के एक सुदृढ़ तंत्र को विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया.
- अनुबंध अधिनियम को मजबूत बनाया जाएगा.

आधिकारिक सांख्यिकीय पर नवीन राष्ट्रीय नीति हेतु

- एआई सहित नवीनतम प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहन.
- अत्याधुनिक डाटा संग्रहण, समेकित सूचना पोर्टल और समय से सूचना के प्रसार की दिशा में एक कार्य योजना.
- भारत में 2022 में आयोजित होने वाले जी-20 की अध्यक्षता के लिए तैयारियां शुरू करने हेतु कुल 100 करोड़ रुपये आवंटित.

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

- सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के इस्तेमाल से धन के अंतरण में सुधार.
- बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों की वित्तीय सहायता के लिए पहुंच में सुधार.

केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख का विकास

- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30,757 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये का प्रावधान.

वित्तीय क्षेत्र

सार्वजनिक बैंकों में सुधार

- 10 बैंकों को 4 बैंकों में परिणत किया गया.
- 3,50,000 करोड़ रुपये की पूंजी दी गई.
- सार्वजनिक बैंकों में पारदर्शिता लाने तथा बेहतर पेशेवरवाद के लिए शासन में सुधार लाने पर जोर दिया गया.
- कई सार्वजनिक बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए पूंजी बाजार में पहुंच के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
- जमा बीमा तथा क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीडीसी) ने जमा बीमा दायरे को प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की अनुमति दी.
- जमाकर्ताओं के धन को सुरक्षित रखते हुए, एक सशक्त प्रणाली द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के स्वास्थ्य की निगरानी.

बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन द्वारा सहकारिता बैंकों का सशक्तिकरण

- पेशेवरवाद में वृद्धि.
- पूंजी तक पहुंच में आसानी.
- शासन में सुधार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ठोस कारोबार के लिए निर्देश.

ऋण वसूली के लिए एनबीएफसी की पात्रता सीमा घटाई गई

एमएसएमई का निर्यात संवर्धन

- भेषज, मोटर वाहन पुर्जे तथा अन्य जैसे चुनिंदा क्षेत्रों के लिए
- एक्सिम बैंक और सिडबी द्वारा 1000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई.
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास, कारोबार की कार्यनीति आदि के लिए सहायता.

वित्तीय बाजार

बांड बाजार को सशक्त बनाना

- कुछ विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की श्रेणियों को गैर निवासी निवेशकों के लिए भी पूरी तरह खोला जाएगा.
- कारपोरेट बांडों में एफपीआई की सीमा को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया.

अवसंरचना वित्तपोषण

- 103 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइप लाइन परियोजना की घोषणा की गई.
- आईआईएफसीएल तथा एनआईआईएफ जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों की सहायता के लिए 22000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे.
- **आईएफएससी, गिफ्ट सिटी:** इनमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त तथा सर्वोत्तम डेटा प्रोसेसिंग का केन्द्र बनने की क्षमता है.
- विनियामक के अनुमोदन से वैश्विक बाजार भागीदारों द्वारा व्यापार के लिए अतिरिक्त विकल्प के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना की जायेगी.

विनिवेश

- सरकार आरंभिक सार्वजनिक पेशकश द्वारा एलआईसी में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है.

राजकोषीय प्रबंधन

(शेष पृष्ठ 3 पर)

केंद्रीय बजट ...

(पृष्ठ 2 का शेष)

- **15वां वित्त आयोग (एफसी)**
- 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है.
- इसकी सिफारिशें महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में स्वीकार कर ली गई हैं.
- 2020-21 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट वर्ष के बाद वाले हिस्से में प्रस्तुत करेगा.
- **जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि**
- वर्ष 2016-17 और 2017-18 के संग्रहण में से देय बकाया राशि दो किस्तों में कोष में हस्तांतरित की जानी है.
- इसके पश्चात, इस निधि में स्थानांतरित जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के द्वारा संग्रहण तक ही सीमित होगा.
- केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं का कायाकल्प आवश्यक है.
- उभरती हुई सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुसार बनना कल की जरूरत है.
- सीमित सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो.
- संभावित राजकोषीय आंकड़ों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर अब हाल में हुई डिबेट के बारे में यह आश्वासन है कि अपनाई गई प्रक्रिया एफआरबीएम अधिनियम के अनुरूप है.
- **वित्त वर्ष 2019-20 के लिए**
- **व्यय के संशोधित अनुमान-** 26.99 लाख करोड़ रुपये.
- **प्राप्तियों के संभावित अनुमान-** 19.32 लाख करोड़ रुपये.
- **वर्ष 2020-21 के लिए**
- जीडीपी की मामूली वृद्धि 10 प्रतिशत अनुमानित है.
- प्राप्ति- 22.46 लाख करोड़ रुपये अनुमानित.
- व्यय- 30.42 लाख करोड़ रुपये.
- अभी हाल में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कर सुधार शुरू किये. हालांकि कर में अनुमानित उछाल में समय लगने का अनुमान.
- संशोधित बजट अनुमान में 2019 राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत और बजट अनुमान 2020-21 में 3.5 प्रतिशत होने का अनुमान. इसमें दो प्रमुख कारक हैं.
- वर्ष 2019-20 के लिए 3.3 प्रतिशत और 2020-21 बजट अनुमान के लिए 3 प्रतिशत.
- संशोधित अनुमान 2019-20 और बजट अनुमान 2020-21 दोनों के लिए एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(3) के साथ विचलन 0.5 प्रतिशत पर स्थिर है. एफआरबीएम अधिनियम की धारा 4(2) में अप्रत्याशी राजकोषीय निहितार्थों के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों के कारण अनुमानित राजकोषीय घाटे से अंतर के लिए एक ट्रिगर तंत्र का प्रावधान करता है.
- यह राजकोषीय पथ हमें सार्वजनिक निधियों में निवेश की जरूरतों से समझौते किये बिना राजकोषीय मजबूती पथ के लिए प्रतिबद्ध करता है.
- **बाजार ऋण-** निवल बाजार ऋण- 4.99 लाख करोड़ रुपये वर्ष 2019-20 के लिए और 5.36 लाख करोड़ रुपये 2020-21
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सुधारों का एक बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय के लिए चला जाएगा जो 21 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है.

प्रत्यक्ष कर

विकास को गति प्रदान करने के लिए कर ढांचा सरल बनाया गया, अनुपालन सरल बनाया गया और मुकदमें बाजी कम हुई.

- **व्यक्तिगत आय कर**
- मध्यम कर के करदाताओं को बड़ी राहत.
- नया और सरलीकृत व्यक्तिगत आय कर शासन प्रस्तावित.

कर योग्य आय के स्लैब (रुपये)	मौजूदा कर दरें	नई कर दरें
0 से 2.5 लाख	छूट	छूट
2.5 से -5 लाख	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत
5 से 7.5 लाख	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
7.5 से 10 लाख	20 प्रतिशत	15 प्रतिशत
10 से 12.5 लाख	30 प्रतिशत	20 प्रतिशत
12.5 से 15 लाख	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
15 लाख से ऊपर	30 प्रतिशत	30 प्रतिशत

- मौजूदा छूट और कटौतियों (100 से अधिक) में से लगभग 70 को नये सरलीकृत प्रणाली में हटा दिया जाएगा.
- नई प्रणाली से प्रति वर्ष 40,000 करोड़ रुपये की अनुमानित राजस्व फोरगोन होगा.
- **कॉरपोरेट कर**
- 15 प्रतिशत कर दर नई बिजली उत्पादन कंपनियों को प्रदान किया जायेगा.
- भारतीय कॉरपोरेट कर दर अब दुनिया में सबसे कम है.
- लाभांश वितरण कर (डीडीटी)
- डीडीटी ने भारत को अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनने से रोका.
- होल्डिंग कंपनी को उसकी सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश के लिए छूट की अनुमति.
- 25,000 करोड़ रुपये का अनुमानित वार्षिक राजस्व परिव्यय
- **स्टार्ट अप**
- 100 करोड़ रुपये तक के कुल कारोबार वाले स्टार्ट अप को 10 वर्षों में से लगातार तीन आंकलन वर्ष के लिए 100 प्रतिशत छूट का लाभ.
- ई-सॉप्स पर कर भुगतान से राहत.
- एमएसएमई से कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा
- कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा में पांच गुना वृद्धि करके मौजूदा 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव. यह वृद्धि केवल उन व्यवसायियों के लिए प्रयोज्य होगी जो अपने व्यवसाय संबंधी लेनदेन में 5 प्रतिशत से कम नकद का प्रयोग करते हैं.
- **सहकारी संस्थाएं**
- सहकारी संस्थाओं और करोपोरेट क्षेत्र के बीच समानता लाने की कोशिश.
- सहकारी संस्थाओं पर छूट/कटौती के बिना 10 प्रतिशत अधिभार और 4 प्रतिशत उपकर के साथ 22 प्रतिशत कर भुगतान का विकल्प.
- सहकारी संस्थाओं को वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) से छूट मिलेगी जिस प्रकार कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट मिलती है.
- विदेशी निवेश के लिए कर रियायत
- प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र में विदेशी सरकारों के सॉवरिन धन कोष द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा 31 मार्च 2024 से पहले और न्यूनतम तीन वर्षों की लॉक-इन अवधि के साथ अवसंरचना और अन्य अधिसूचित क्षेत्रों में किए गए निवेश के संबंध में उनके ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभों को 100 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव.
- **सस्ते मकान**
- सस्ते मकान की खरीद हेतु लिए गए ऋणों को देय ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक अतिरिक्त छूट को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है.

- 31 मार्च 2021 तक अनुमोदित सस्ते मकान की परियोजना के विकासकर्ता द्वारा अर्जित लाभों पर टैक्स हॉलिडे का प्रावधान.

कर को सरल बनाने के उपाय

- आधार के जरिए तुरंत पैन का ऑनलाइन आवंटन.
- प्रत्येक्ष कर से संबधित मुकद्मेबाजी को कम करने के लिए 30 जून 2020 की समय सीमा के साथ 'विवाद से विश्वस' योजना.

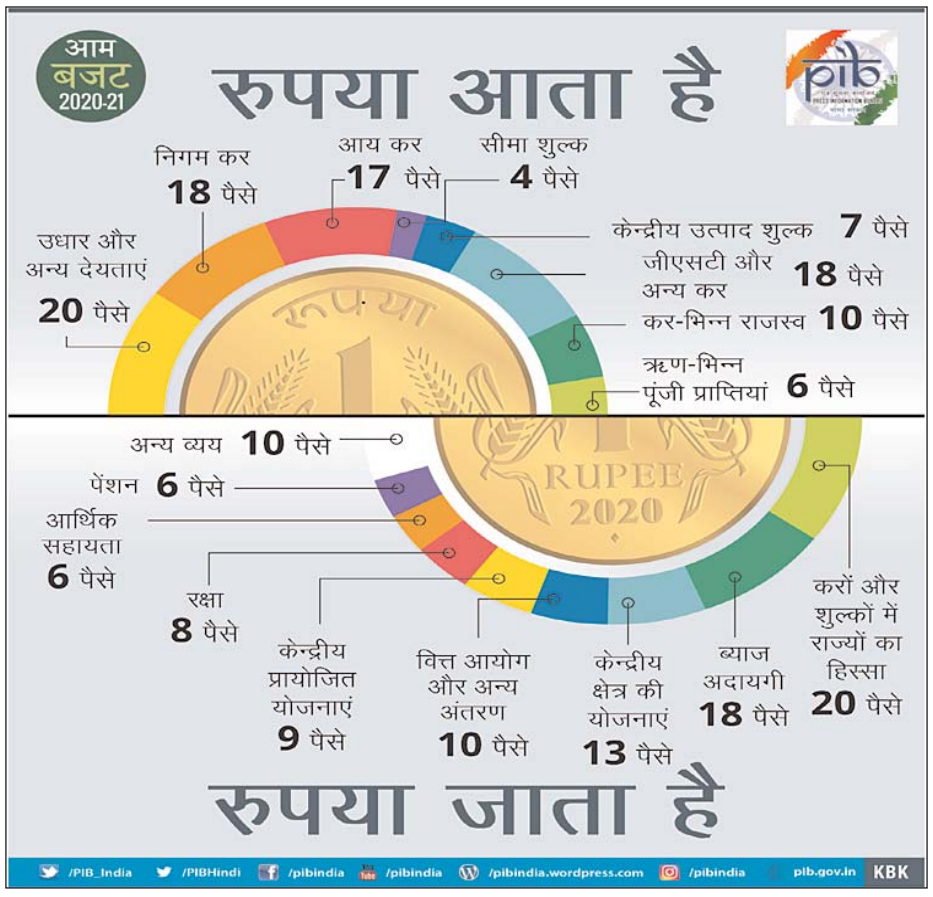

अप्रत्यक्ष कर

- जीएसटी
- इनवॉइस मांगने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद प्रोत्साहन व्यवस्था.
- 1 अप्रैल 2020 से परीक्षण के तौर पर सरलीकृत विवरणी का क्रियान्वयन किया जाएगा. इस विवरणी को फाइल करना आसान बनाया जाएगा. इसकी विशेषताओं में शून्य विवरणी के लिए एसएमएस आधारित फाइलिंग, विवरणी पूर्व फाइलिंग उन्नत इनपुट कर क्रेडिट प्रवाह और समग्र सरलीकरण संग्रह.
- ग्राहक इनवॉइस के लिए जीएसटी के प्रस्तावित मानदंडों पर आधारित डायनमिक क्यूआर कोड केंद्रीकृत प्रणाली में महत्वपूर्ण सूचनाओं को रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.
- **सीमा शुल्क**
- सीमा शुल्क को फुटवियर पर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने और फर्नीचर वस्तुओं पर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रावधान.
- न्यूज प्रिंट और हल्के कोटेड पेपर के आयात पर बुनियादी आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया.

व्यापार नीति के उपाय

- एफटीए के तहत आयात की उचित जांच के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन.
- कुछ संवेदनशील वस्तुओं के लिए मूल उद्यम की आवश्यकताओं संबंधी नियमावली की समीक्षा होगी.
- आयात में वृद्धि को एक व्यवस्थित तरीके से विनियमित करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी संबंधी प्रावधान.

भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां

- भारत अब विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.
- वर्ष 2014 से 2019 के दौरान करीब 4.5 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति के साथ 7.4 प्रतिशत की औसत वृद्धि रही.
- वर्ष 2006 से 2016 के दौरान 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया.
- भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-19 के दौरान बढ़कर 284 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचा, जो वर्ष 2009-14 के दौरान 190 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था.

(पसूका)